दिनांक 17 सितम्बर 1988 को प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत ।

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे -

1. डा. के. एन. नाग — अध्यक्ष
2. श्री बी. डी. कल्ला
3. श्री हनुमान प्रसाद
4. प्रो. एम. वी. माथुर
5. श्री के. एस. मेहता
6. श्री सूर्यदेव सिंह पारडठ
7. डा. आर. सी. मेहता
8. डा. एस. एन. सक्सेना
9. डा. पी. एन. मेहरोत्रा
10. डा. एन. एल. अग्रवाल
11. डा. सीताराम चौधारी
12. श्री के. एस. माथुर
13. श्री बी. एस. उज्जवल
14. डा. एस. एल. माथुर — आमंत्रित
15. डा. जे. एस. भाटिया
16. श्री एस. पी. पुरोहित
17. श्री आर. एस. धारीवाल — सदस्य सचिव

डा. एस. एस. आचार्य, डा. आर. एस. पारोडा, प्रो. सतीशचन्द्र सचिव पशुपालन, शिक्षा सचिव, कृषि निदेशक, वित्त सचिव ने किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं लिया।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया।

RAJAU/BOM-6/88-4/65: गत बैठक दिनांक 20 जून 1988 की प्रबन्ध बोर्ड के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि की जाय।

RAJAU/BOM-6/88-4/66: गत बैठक के कार्यवृत की क्रियान्विति के संबंध में कुलपति ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि 20.6.88 को जो सुझाव बैठक के कार्यवृत के संबंध में दिये गये थे उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है।

(अ) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में विकल्प दे चुके है थे उनके संबंध में राज्य सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है और राज्य सरकार से सरप्लस कर्मचारियों को ही इस विश्वविद्यालय में विकल्प लेनेके लिए ध्यान दिलाया है।

विचार विमर्श के बाद सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया कि केवल सरप्लस कर्मचारियों (मोहन लाला सुखाड़िया विश्वविद्यालय (पद की वरीयता के अनुसार) को ही इस विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को भरना चाहिये जिससे कि बीकानेर में विश्वविद्यालय का प्रभाव बढ़े।

(ब) राज्य सरकार के आदेश संख्या 7(6)शिक्षा ग्रुप-2/88 दिनांक 8.9.88 द्वारा डूँगर कोलेज की कृषि संकाय व महारानी सुदर्शना कालेज की गृह विज्ञान संकाय को इस विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करनेके आदेश प्राप्त हो चुके हैं । कुलपति ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित समिति जो विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु 11 - 14 जनवरी 1988 को आयी थी ने भी अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में कहा है कि राज्य के सभी कृषि पाठ्यक्रमों को जो विश्वविद्यालय के बाहर चल रहे हैं और जिनका स्तर निम्न है उनके छात्रों को विश्वविद्यालय अपने यहाँ लेकर पठन पाठन कराये तथा ऐसे संस्थानों / कार्यक्रमों का बन्द कराये।

(स) कुलपति ने यह भी बताया कि शैक्षणिक परिषद् की गत बैठक उदयपुर में दिनांक 13-14 सितम्बर 1988 को जब हो रही थी तो बीकानेर से इन संकायों के विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण की सूचना दूरभाष (टेलिफोन) पर दी गई और शैक्षणिक परिषद् के समक्ष विचार किया गया । शैक्षणिक परिषद् ने जो निर्णय किये हैं का सार इस प्रकार है :

1. सत्र 1988-89 से 10 प्लस 2 प्लस 4 कृषि स्नातक (आनर्स) बीकानेर में भी लागू होगा। इसी प्रकार 10 प्लस 5 एवं 10 प्लस 2 प्लस 3 का पाठ्यक्रम गृह विज्ञान में लागू होगे। इस प्रकार जिन विद्यार्थियों को कृषि में 10 प्लस 1 से प्री डिग्री में प्रवेश दिया गया है में उतीर्ण होने पर 10 प्लस 2 प्लस 4 बीएस.सी. कृषि (आनर्स) में प्रवेश लेंगे।

   इस पर विचार कर अध्यक्ष कृषि संकाय को निर्देश दिये कि वे तुरन्त प्री डिग्री पाठ्यक्रम की नयी रूपरेखा बनाकर कुलपति को प्रस्तुत करें और कुलपति को अधिकृत किया कि वे उसे तुरन्त लागू करें।

2. गृह विज्ञान में इस वर्ष प्रवेश नहीं दिये गये हैं अतः अगले सत्र में कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को लागू किया जाय।

3. जो छात्र त्री वर्षीय पाठ्यक्रम (कृषि) कक्षा में हैं और जो छात्राएँ गृह विज्ञान कक्षा में गत वर्ष सत्र 1987-88 में प्रवेश ले चुके हैं उनके लिए पाठ्यक्रम अजमेर विश्वविद्यालय के अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के रूप में अपनाये जाते हैं।

4. जो छात्र प्रथम वर्ष स्नातक में अनुतीर्ण होंगे उनके लिए दोनों संकायों के अधिष्ठाता समावेश की रूपरेखा तुरन्त प्रस्तुत करें।

कुलपति ने बताया कि इस सन्दर्भ में राज्य सरकार को दो योजनायें (एक कृषि महाविद्यालय की व दूसरी गृह विज्ञान महाविद्यालय की) स्वीकृत करने हेतु भेज दी गई थी और स्पष्ट किया थी कि जब तक राज्य सरकार से समुचित वित्तिय सहायता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस विश्वविद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रमों को बीकानेर में चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। सभी सदस्यों ने कुलपति के विचारों का समर्थन किया लेकिन इन दोनों संकायों को लेकर तुरन्त पाठ्यक्रम की सुचित व्यवस्था की जावे और राज्य सरकार से यह अपेक्षा की है कि तुरन्त इन कार्यक्रमों के लिये इसी वर्ष अतिरिक्त धान राशि तुरन्त उपलब्ध करावें।

कुलपति ने इन पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से प्रभावशील करने हेतु इसी वित्तिय वर्ष में विशेष प्रावधान के सुझाव रखे जिनको प्रबन्ध बोर्ड ने स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि आवश्यक अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करें

कृषि संकाय =

1. सह आचार्य (ग्रीनोमी) (1200-1900) पूर्व पुनरक्षित)	1 पद
2. कनिष्ठ लिपिक	1 पद
3. कृषि यन्त्र व कन्टेन्जेन्सी	1 लाख रूपये

गृह विज्ञान

1. सह आचार्य (1200-1900) पूर्व पुनरक्षित	1 पद
2. सहायक आचार्य (700-1600) ,,	3 पद
3. कनिष्ट लिपिक	1 पद
4. कन्टेन्जेन्सि	50हजार रूपये

(ब) कुलपति ने सूचित किया कि कार्यालय हेतु वर्किंग वूमेन होस्टल को किराये पर लेने की सूचना दी और सूचित किया कि दिनांक 12 सितम्बर 1988 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन भवन पूर्ण नहीं है और बैठने लायक भी नहीं है। बैठने लायक बनाकर मुख्य कार्यालय वहाँ ले जाया जाय।

(ब) कुलपति ने सदस्यों को विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रतिवेदन) टेबल पर रखते हुए यह बताया कि सातवीं योजना में 8 करोड़ रुपये व आठवीं योजना में 19 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

(स) कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में सदस्यों का यह भी मत था कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो सरप्लस कर्मचारी हैं उन्हें ही इस विश्वविद्यालय की सेवाओं में समायोजित किया जाय। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सरप्लस की लिस्ट घोषित होने पर ही इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय ताकि विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(द) कुछ सदस्यों ने विश्वविद्यालय की कृषि के मद अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुदान से चल व अचल संपत्तियों के बारे में दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति अपने स्तर पर बैठकें करके इसको शीघ्र निपटा लिया जाय।

कोमन सील – कुलपति ने ध्यान दिलाया कि प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों ने गत बैठक में जो सुझाव दिये थे उसके सन्दर्भ में कुलपति ने बताया कि डिज़ाइनर (कलाकार) को तकनिकी दृष्टि से जो प्रावधान बताये थे उनका समावेश जितना हो सके कर लिया है। सदस्यों ने सील को देख कर स्वीकृति इस सुझाव के साथ दी कि विश्वविद्यालय का नाम हिन्दी में यथा स्थान पर लिखा जाय।

RAJAU/. BOM-6/ 88-4/67: कुलपति द्वारा जो आदेश समय समय पर गत बैठक के बाद पारित किए गये अवलोकनार्थ बोर्ड के समक्ष रखे गये जिसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं हुई।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को आलोकित किया जाय।

RAJAU/. BOM-6/ 88-4/68: अधिष्ठाता परिषद् की बैठक दिनांक 20 जुलाई 1988 के कार्यवृत पर विचार किया गया। कि

निर्णय किया गया कि कार्यवृत का अनुमोदन किया जाय।

RAJAU/. BOM-6/ 88-4/69: एक्ट एवं स्टेट्यूट्स के बारे में कुलपति ने बताया कि एक्ट में यह प्रावधान है कि एक वर्ष के अन्दर अन्दर कुलपति संशोधन एवं परिवर्तन कुलाधिपति को भेजे जाय। कुलपति ने अपने विद्वत साथियों से सलाह लेने के लिए एक समिति का गठन किया था और समिति के सुझावों के आधार पर कुलपति ने यह संशोधन / परिवर्तन कुलाधिपति को भेज दिये हैं।

श्री के. एम. मेहता ने आपत्ति उठायी कि यह भजने के पूर्व इसकी प्रति हमें क्यों नहीं दिखाई गई है। कुलपति ने स्पष्ट किया कि समिति का गठन ~~केवल~~ सुझाव देने व सरल करण के लिए बनाई गई थी जिन के आधार मानकर कुलपति ने अपने सुझाव व संशोधन प्रस्तावित किये थे, जो कुलाधिपति को ~~भेज~~ भेजे गये। विचार विमर्श के पश्चात निर्णय किया गया कि सुझावों को आलोकित किया जाय।

RAJAU/BOM 6/88-4/70: श्री के. सी. गोयल, सहायक आचार्य जो इन्डो जर्मन एक्सचेन्ज प्रोग्राम के तहत अवकाश पर हैं ने एक वर्ष के अवकाश वृद्धि का अवदेन किया है पर विचार किया गया ।

बाद विचार विमर्श के निर्णय लिया गया कि श्री गोयल को अवकाश वृद्धि तो कर दी जाय लेकिन विश्वविद्यालय के श्री गोयल का अवकाश अवैतनिक होगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व श्री गोयल को भी कर दी जाय।

RAJAU/BOM-6/88-4/71: डा. बी. एल. महेश्वरी सह आचार्य कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय उदयपुर जो सितम्बर 1988 तक अवैतनिक अवकाश में वृद्धि चाही है पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि डा. महेश्वरी को 15 सितम्बर 1988 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाय इसके आगे अवकाश स्वीकृत करने में बोर्ड ने अपनी असहमति प्रकट की।

RAJAU/BOM-6/88-4/72: नये अध्यादेश (आर्डिनन्सेज़) बनाये जाने के बारे में प्रगति के बारे में कुलपति महोदय ने सूचना दी कि अध्यादेश बनाये जा रहे हैं उनका आधार मुख्यत: सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स होंगे।

RAJAU/BOM-6/88-4/73: कुलपति ने सूचित किया कि राज्य सरकार से 3400 बीघा जमीन एक रूपया प्रति वर्ष लीज़ पर विश्वविद्यालय को प्रदान की है। सभी सदस्यों ने इसके लिए मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया भूमि के लिए सुखाड़िया विश्वविद्यालय की तरह ही भू सम्पति अधिकारी मेमोरन्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया।

RAJAU/BOM-6/88-4/74: भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवृत पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि मद संख्या 1 से 5 तक जो रेट्स के बारे में हैं व निम्न हैं को स्वीकृत एवं अनुमोदित की जाती है।

1. कृषक आवास बीछवाल फार्म बीकानेर हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गई व निम्न रेट्स निम्न निविदादाताओं की अनुमोदित की गई। मेसर्स अब्दु गफार - जिन्होंने 17 प्रतिशत बी. एस. आर. रेटसे से अधिक दर पार्ट ए व बी व 650/- रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्ट डी के लिए अनुमोदित की गई।

2. शैक्षणिक कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण हेतु मेसर्स चिस्टिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा जो 17 प्रतिशत बी. एस. आर. रेट्स से अधिक है पार्ट ए. व बी. व सी. व रूपये 670/- प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्ट डी अनुमोदित की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस मद पर खर्च रू. 5,03,380.79 तक प्रशासनिक व वितीय सीमा निर्धारित की गई।

3. कन्या छात्रावास पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय हेतु श्रि निमार्ण कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं से श्री इब्दुल गफार , ठेकेदार की निविदा 1 प्रतिशत अधिक दर बी.एस.आर. से पार्ट ए व बी के लिए व रुपये 520/- पार्ट डी के लिए अनुमोदित की गई।

4. शैक्षणिक कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण बीछवाल फार्म पर करने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी व मैसर्स चिस्टिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की दर 16 प्रतिशत बी.एस.आर. से अधिक दर पार्ट ए.बी.व सी. के लिए व रूपये 640/- प्रति वर्ग मीटर पार्ट डी के लिए अनुमोदित की गई परन्तु साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि इस कार्य की अनुमानित लागत रु.4.98,495.82 से अधिक न हो।

5. बीचवाल फार्म पर अतिथि गृह निर्माण हेतु निम्न निविदा मैसर्स अब्दु गफार बीकानेर की दर 19.71 प्रतिशत अधिक दर बी.एस.आर.दर से पार्ट ए. व बी. व रूपये 650/- प्रति वर्ग मीटर की दर पार्ट डी. के लिए अनुमोदित की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु रु.6,48,980.13 से अधिक अनुमानित खर्च नहीं किया जाय।

RAJAU/BOM-6/88-4/75: कुलपति ने यह बताया कि इस वर्ष से परीक्षायें इस विश्वविद्यालय को सम्पन्न करवानी है और उसके प्रबन्ध करने होंगे। इसके लिए कुलपति ने बोर्ड के सदस्यों से स्वीकृति चाही । इसके लिए बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की और डा. जे.एल.भाटिया को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाय । उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता / वाहन भत्ता नियमानुसार देय होगा।

RAJAU/BOM-6/88-4/76: प्रो. एस.के.अग्रवाल का पत्र दिनांक 6 जुलाई 1988 के सम्बन्ध में सदस्यों ने मत प्रकट किया कि कुलपतियों को उनके के लिए सुविधायें उनके स्तर के अनुरूप ही मिलनी चाहिये।

RAJAU/BOM-6/88-4/77: राज्य सरकार का पत्र एफ.(93)एफडी(दराई-2/पी.3/सीआएसएच/85 दिनांक 25.5.88 पर विचार किया गया ।

विचार विमर्श के पश्चात निर्णय किया गया कि आदेश का अनुमोदन किया जाय और विश्वविद्यालय में इसी रूप में लागू किया जाय।

RAJAU/BOM-6/88-4/78: श्री सतीश वर्मा सहायक आचार्य फार्म पावर व मशीनरी , कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया।

यह निर्णय लिया गया कि अब और अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय और उन्हें सेवा में तुरन्त उपस्थित होने के निर्देश दिये जावें।

RAJAU/BOM-6/88-4/79: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन मान के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को विश्वविद्यालय में सभी संकायों में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

RAJAU/BOM-6/88-4/80: कुलपति ने प्रस्ताव रखा जिसमें विशेषज्ञों की सेवायें लेने के लिए अपने प्रस्ताव रखे। कुलपति ने यह बताया कि दो योजनायें टीबा स्थरीकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भेजनी हैं और कृषि एवं पर्यावरण के सन्दर्भ में भेजने हैं। इसी प्रकार से भविष्य में और भी योजनायें भेजनी होंगी जिनके लिए हमारे विश्वविद्यालय विशेषज्ञ अनुभवी न हीं हैं। सदस्यों ने इस सुझाव को तय किया और विचार कर कुलपति को अधिकृत किया कि इस संबंध में विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए उन्हें यो ग्यता व कार्यानुभव के आधार पर भत्ता आदि देने की स्वीकृति प्रदान करें।

समयाभाव के कारण अन्य मदों पर विचार स्थगित रखा गया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

Sd/-
(केदार एन. नाग)

Sd/-
(आर. एस. धारीवाल)